भारत सरकार

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्

दिनांक 21 जनवरी 2011

---

1. दिनांक 21 जनवरी, 2011 को 2 मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की नौवीं बैठक की अध्यक्षता की।

2. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में प्रो0 नरेन्द्र जाधव, डॉ. जीन ड्रेजे, सुश्री अरुणा रॉय, सुश्री अनु आगा, श्री एन. सी. सक्सेना, श्री दीप जोशी, सुश्री फराह नक़वी, श्री हर्ष मंदेर और श्री ए. के. शिवकुमार शामिल थे।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कार्य दल के संयोजक श्री हर्ष मंदेर ने एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की सभी सिफारिशों का सार था और इसमें प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक की मुख्य बातें शामिल थीं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने इस नोट का अनुमोदन किया। इसके अलावा, परिषद् ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा मसौदा विधेयक पर विचार करने से पूर्व इस नोट को टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए वेबसाइट पर डाला जाए।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत सामाजिक समावेशन के मुद्दे पर यह दोहराया गया कि भारत सरकार जनसंख्या को "प्राथमिकता" और "सामान्य" परिवारों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मानदंड स्पष्ट करे। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में नीचे दिये गए अति असुरक्षित समूहों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का उपबंध है ताकि ऐसे समूहों को अलग रखने की गलती से बचाया जा सके। ये समूह सक्सेना समिति द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को अगस्त, 2009 में सौंपी गई रिपोर्ट की सिफारिशों का एक हिस्सा भी हैं:

i) "खासकर असुरक्षित आदिवासी समूहों" में आने वाले परिवार।

ii) अनुसूचित जाति समूहों में सबसे ज्यादा भेदभाव वाले समूह, जिन्हें "महा दलित समूह" कहा जाता है, अगर राज्य द्वारा उनकी इस तरह पहचान की गई है।

iii) ऐसे परिवार जिनकी अकेली महिलाएं ही मुखियां होती हैं।

iv) ऐसे परिवार जिनका कमाने वाला अपंग हो।

v) ऐसा परिवार जिसका मुखिया नाबालिग हो।

vi) ऐसे उपेक्षित परिवार जो खासकर भीख मांगकर गुजारा करते हैं।

vii) बेघर परिवार।

viii) ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य एक बंधुआ मजदूर हो।

इस संबंध में, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् में इस बात पर सहमति हुई कि ऐसे वर्गों के शामिल किए जाने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को "प्राथमिकता समूहों" के रूप में पहचान किये जाने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सिफारिश सरकार को भेज दी जाएगी।

5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन पर कार्य दल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सूचना का अधिकार नियमों में प्रस्तावित संशोधन के बारे में अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की टिप्पणियों का जवाब की प्रस्तुति कार्य दल की संयोजक सुश्री अरुणा रॉय द्वारा दी गई। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने चर्चा के बाद अपनी सिफारिशों को अंतिम स्वरूप देने से पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने का प्रस्ताव किया।

6. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने अपनी पिछली बैठक में समेकित बाल विकास योजना के सुधारों पर एक कार्य दल का गठन किया था। इस कार्य दल के सह-संयोजक डॉ. ए. के. शिव कुमार ने कार्य दल द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् को अवगत कराया।

7. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अगली बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2011 को होनी निश्चित हुई है।

***